न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

मंदिर श्री बांके बिहारी बनाम राजस्थान सरकार वगैरह

किस्म मुकदमा–223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 359/2025 (अजमेर) [illegible] - 2

अविनाश माथुर 5, 6

CP शर्मा

लगातार	अतः रेस्पो. स. 1 से 4, 7 से 15 को सुनवाई हेतु नोटिस जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया जाकर मिसल पेशी 27.8.25 को पेश हो। [signature] राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
27.8.25	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक उभयपक्ष उप.। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त हो चुका है, रेस्पो नं. 02 की पोस्ट जे. श्री सुरेन्द्र सैनी ने वकालतनामा पेश किया अभिभाषक अपीलांट ने शामिल मिसल हो। प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 151 CPC पेश किया शामिल मिसल हो। पत्रावली वास्ते इन्तजार नोटिस रेस्पो 1, 2, 4, 7 से 15 पेशी 8/10/25 को पेश हो। [signature] राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	मिसल नोटिस R-1-4, 7-15 1580-83 3/7/25
8/10/25 (10/10/25)	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट एवं रेस्पां. उपस्थित। राजस्व बार संघ / जिला बार संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया। मिसल पूर्वानुसार वास्ते दिनांक 10/11/25 को पेश हो। [signature] राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	[illegible] CM (मुख्य) [illegible] से कार्यवाही 95/2024 मंदिर श्री बांके बिहारी बनाम सरकार [illegible] (04) शामिल मिसल [illegible]
10.11.25	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने प्रा.पत्र 0.23 R 01 सपठित धारा 151 CPC पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी अपीलांट अपील को विड्रो करना चाहते हैं आगे नहीं चलाना चाहते हैं क्योंकि वादग्रस्त भूमि का रूपान्तरण हो चुका है। जिसमे पहले उक्त आदेश को निरस्त किये जाने की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है जिससे उक्त अपील को इसी स्तर पर विड्रो कर निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अपीलांट स्वयं उपस्थित हुए एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर किये जिनकी पहचान उनके अभिभाषक द्वारा श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा द्वारा की गई। अतः अपील अपीलांट आगे नहीं चलाये जाने के कारण जरिये विड्रो खारिज की जाती है पत्रावली बाद तकमील होकर नम्बर से कम हो। [signature] राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	निर्मला रतावा [signature] 10/11/25

Scanned with CamScanner

न्यायालय माननीय राजस्व अपील अधिकारी अजमेर

अपील संख्या– 359 /2025 जिला अजमेर।

2025/359

मन्दिर श्री बाके बिहारी जी महाराज किशनगढ़ जरिये पुजारी निर्मल रतावा पुत्र श्री भगवतीप्रसाद एवं पौत्र दुर्गालाल जी पुजारी जाति ब्राह्मण उम्र करीबन 38 साल निवासी–पुरानी कोतवाली के पास, तांगा स्टैण्ड, पुराना शहर किशनगढ़ तहसील–किशनगढ़ जिला अजमेर।

.....प्रार्थी / अपीलान्ट

बनाम

1/ राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील व जिला अजमेर।

2/ आयुक्त, नगर परिषद, किशनगढ़

3/ सचिव, नगर परिषद, किशनगढ़

4/ सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

5/ राजू नायक पुत्र श्री नाथूलाल निवासी–रेगरान मौहल्ला, पीसांगन रोड़, ब्यावर।

6/ रोडू नायक पुत्र नाथूलाल निवासी–रेगरान मौहल्ला, पीसांगन रोड़, ब्यावर।

7/ पिंकी पुत्री स्वर्गीय प्रेमचन्द पौत्री स्व0 रेखा

8/ सुनीता पुत्री स्वर्गीय प्रेमचन्द पौत्री स्व0 रेखा

9/ शिवचन्द पुत्र स्वर्गीय प्रेमचन्द पौत्र स्व0 रेखा

10/ मनोज पुत्र स्वर्गीय प्रेमचन्द पौत्र स्व0 रेखा

11/ मनफूल पत्नि स्व0 प्रकाश

12/ ममता पुत्री स्व0 प्रकाश

13/ सीमा पुत्री स्व0 प्रकाश

उपरोक्त सभी जाति रैगरान निवासी–ग्राम रामनेर की ढाणी, तहसील व जिला अजमेर।

359/2025
20/7/25

Scanned with CamScanner

14/ मोहनलाल पुत्र स्व0 कालू

15/ उर्मिला पुत्री स्व0 कालू (नाबालिग सरंक्षक मोहनलाल)

जाति रैगर, निवासी–अंराई तहसील–बिजयनगर, जिला–अजमेर।

....अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 15/07/2025, पारित द्वारा सहायक कलेक्टर मुख्यालय, अजमेर, वाद संख्या–179/2024, उनवान–मन्दिर श्री बाके बिहारी जी बनाम सरकार व अन्य।

महोदय,

प्रार्थी/अपीलान्ट की ओर से नीचे लिखे अनुसार निवेदन है कि:–

1/ यह कि प्रार्थी/अपीलान्ट ने माननीय सहायक कलेक्टर मुख्यालय, अजमेर, वाद संख्या–179/2024, उनवान– मन्दिर श्री बाके बिहारी जी बनाम सरकार व अन्य अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वास्ते दुरूस्ती इन्द्राज व हक घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रसतुत किया जिसे दर्ज कर अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को सम्मन से तलब किया गया जिसमें प्रतिवादी संख्या–05 राजू नायक व प्रतिवादी संख्या–06 रोडू नायक की ओर से बिना जबाबदावा प्रस्तुत किये एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता के तहत प्रस्तुत किया जिसका वादी/अपीलान्ट/प्रार्थी सशपथ जबाब प्रस्तुत किया जिस पर बहस सुनकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15/07/2025 से प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये वादी/अपीलान्ट के वाद को निरस्त कर दिया जिससे व्यथित होकर यह प्रथम अपील प्रस्तुत है जिसमें वादग्रस्त सम्पति के बाबत सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है।

Scanned with CamScanner